संoसंo–7 / विविध–26–04 / 11....69(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल,पटना
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द्र सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना / गया।

पटना, दिनांकः– 23-9-15

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में विस्तृत विवरण देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद का संलग्न प्रपत्र में एक विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक– 05.10.2015 तक निश्चित रूप से विभागीय ई–मेल (health-bih@nic.in) पर दें ताकि उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में प्रस्तुत किया जा सके ।

सभी प्रतिवेदन इकाईवार तैयार की जायेगी जिसे सिविल सर्जन संकलित कर अपना एक संकलित प्रतिवेदन शीर्षवार तैयार करेंगे । यहाँ स्पष्ट करना है कि सिविल सर्जन के प्रतिवेदन के साथ उनके अधीनस्थ सभी इकाईयों का प्रतिवेदन संलग्न होगा ताकि पता चले कि उनमें अन्तर नहीं है । इस तरह प्राथमिक, सदर, अनुमंडल, रेफरल एवं अन्य अस्पतालों का अलग–अलग प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित है तथा संलग्न 'क', 'ख' एवं 'ग' प्रपत्रों का प्रतिवेदन अलग–अलग इकाईयों का अलग बनेगा एवं सिविल सर्जन के शीर्षवार प्रतिवेदन में समाहित होगा । उदाहरण के लिए सभी PHC/APHC का अलग–अलग 'क', 'ख' एवं 'ग' बनेगा जिसके आधार पर जिला के प्राथमिक इकाई का प्रतिवेदन 'क', 'ख' एवं 'ग' में तैयार होगा । इस कार्य का अनुश्रवण क्षेत्रीय अपर निदेशक करेंगे तथा प्रतिवेदन संग्रहकर दिनांक–06.10.15 को 11.00बजे स्वास्थ्य विभाग के सभा कक्ष में आहुत बैठक में लायेगें ।

पूर्व प्रेषित (सभी सिविल सर्जन को पत्र दी गयी थी) पत्र से जो सूचनाएँ भेजी गयी थी उसमें अस्पष्ट / अपूर्ण सूचनाएँ दी गयी है जो अत्यन्त खेदजनक है । निर्धारित अवधि के अन्दर आपका प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी एवं आपके किसी मांग पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

23/9/15

(यशस्पति मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

अनु0–यथोक्त ।

D:\letters\libility letter.doc

<u>प्रतिवेदन प्रपत्र</u>

(क) वाह्यस्त्रोत से ली जा रही सेवाएँ

क्रमांक	जिला का नाम	क्रम	सेवा का नाम	संख्या	प्रतिमाह आवश्यक राशि	12 माह हेतु आवश्यक राशि
1		1	जनेरेटर सेवा			
		2	सफाई व्यवस्था			
		3	सुरक्षा व्यवस्था (पुलिस/ होम गार्ड/ निजी सुरक्षा)			
		4	अन्य			

(ख) संविदा पर कार्यरत कर्मियों की व्यय विवरणी जिनका भुगतान व्यवसायिक मद से होता है ।

क्रम	संविदा पर कार्यरत कर्मियों का पदनाम	कुल संख्या	निर्धारित मानदेय	एक माह का व्यय	12 माह का व्यय
1	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी				
2	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी				
3	दंत चिकित्सक				
4	टियूटर				
5	जी0 एन0 एम0				
6	ए0 एन0 एम0				
7	ई0सी0जी टेकनीशियन				
8	एक्सरे टेकनीशियन				
9	ओ0टी0 असिस्टेन्ट				
10	लैब टेकनीशियन				
11	ड्रेसर				
12	फिजियोथेरापिस्ट				
13	आकूपेशनल थेरापिस्टि				
14	ऑपथेलमिक असिस्टेंट				
15	फार्मासिस्ट				
	कुल				

(ग) व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में उपबंध की स्थिति :–

क्रमांक	बजट शीर्ष (विपत्र कोड)	आवंटित राशि	व्यय हुई राशि	शेष राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल आवश्यक राशि	आवंटन के अतिरिक्त आवश्यक राशि (6–3)
1	2	3	4	5	6	7

D:\letters\libility letter.doc